

R-3923-PBR/12



VVIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक आर.3923-पीबीआर / 12

जिला-विदिशा

नं तथा दिनांक	वार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-3-15	<p>आवेदक की ओर से श्री आर.एस.सेंगर, अभि. उप.। अना. की ओर से श्री चैनसिंह राजपूत, अभि.उप.। आवेदक अभि.  इस प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते।</p> <p>मृत्त: आवेदक अभि. के निवेदन पर यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	



## न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मोप्र० गवालियर

प्रकरण क्रमांक

/निगरानी/2012/विदिशा

R. 3923-PB/12

1. तखत सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह लोधी,
2. मौजीलाल पुत्र श्री गोविन्द सिंह लोधी,  
निवासी— ग्राम मूंदरा पीताम्बर, थाना नटेरन,  
तहसील नटेरन, जिला विदिशा  
हाल निवास— रायपुर

..... आवेदकगण

### बनाम

गीता बाई पुत्री प्रकाश लोधी पत्नी श्री  
खुमान सिंह लोधी, निवासी— ग्राम मेड़की,  
जिला रायसेन

.....अनावेदक

निगरानी आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 50 मोप्र० भू राजस्व संहिता 1959  
के अन्तर्गत प्रस्तुत विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी नटेरन,  
विदिशा के प्रकरण क्रमांक 89/अपील/2011-12 गीताबाई बनाम  
तखत सिंह आदेश दिनांक 05-11-2012 को पारित ।

श्रीमान् जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :—

यह कि, विवादित आराजी कुल किता 8 रकवा 7.233 हेक्टेयर  
आवेदक के पिता गोविन्द लोधी के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी  
थी, जिनके तीन पुत्र आवेदक क्रमांक 1, 2 एवं पूरन सिंह सबसे छोटा बेटा  
था । जिसकी शादी गुड़डी के साथ हुई थी, शादी के कुछ ही महीने बाद  
पूरन सिंह की मृत्यु हो गई, मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही गुड़डी के  
माता-पिता (मायके वाले) ने गुड़डी की दूसरी शादी ग्राम <sup>(झंसिथरी)</sup> तहो जिला